स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 79

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालंदा/रोहतास(सासाराम)/सारण(छपरा)/बांका ।

पटना, दिनांक :- 6-1-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी ।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	नालंदा	10	100000	श्रम अधी०कृ०श्र०,नालंदा के पत्रांक-436 तथा 580 क्रमशः दि.-16.11.15 एवं 14.12.15 के आलोक में क्रमशः दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 04 तथा जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसुचित जाति के 06 अर्थात कुल 10 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	रोहतास (सासाराम)	01	10000	श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-748 दि.-16.11.15 के आलोक में कानपुर देहात से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	सारण (छपरा)	02	20000	श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) के पत्रांक-905 दि.-21.12.15 के आलोक में जयपुर(राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	बाँका	09	90000	जिला पदाधिकारी के पत्रांक-558 दि.-23.12.15 के आलोक में भीलवाड़ा (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 09 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
कुल योग		22	220000	

कुल आवंटित राशि रूपये 2,20,000 /- (रूपये दो लाख बीस हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

5. अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 06 बंधुआ मजदूरों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार) 6/1/16
श्रमायुक्त, बिहार

6/1/16

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र०सं०- 79 पटना, दिनांक 6.1.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार।
06/01/16

*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/2015 श्र०सं० 79 पटना, दिनांक 6-1-16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-219, 239, 210, 241 एवं 01 (श्रम पक्ष) क्रमश: दि.-25.11.15, 22.12.15, 19..11.15, 29.12.15 एवं 04.01.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार।
06/01/16